



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-12012026-269278
CG-CG-E-12012026-269278

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 144]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 9, 2026/पौष 19, 1947

No. 144]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 9, 2026/PAUSHA 19, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 8 जनवरी, 2026

रेल अधिनियम 1989 की धारा 20 (ई) के अंतर्गत सूचना

का.आ. 154(अ).— केंद्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) जिसे इसमें इसके पश्चात (उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 4916(अ). तारीख 24/10/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) द्वारा उक्त अधिसूचना से उपबन्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् “बिलासपुर डिवीजन-एडीईएन/आरआईजी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केडीटीआर-बीईएफ के बीच किमी-599/18-20 पर एलसी नंबर 297 के बदले में अधूरे एलएचएस का निर्माण।” के निष्पादन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन उक्त अधिसूचना क्रमांक 4916(अ). तारीख 24/10/2025 का “नवीन कदम” (रायगढ़) (हिंदी), इस्पात टाइम्स, (रायगढ़) (हिंदी), नईदुनिया (बिलासपुर) (हिंदी) और “सेन्ट्रल क्रॉनिकल” (रायपुर) (इंग्लिश) संस्करण में प्रकाशित किया गया था;

और नियत अवधि में कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुआ;

और उक्त अधिनियम की धारा 20 (ई) की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केंद्रीय सरकार सक्षम अधिकारी से उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम 1989 कि धारा 20(ई) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि अनुसंलग्न अनुसूची में लिखित भूमि अधिग्रहित की जाती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त अधिनियम कि धारा 20 (ई) के अनुसरण में यह घोषणा करती है इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने पर इससे उपबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लग्रों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

(अ) रेल परियोजना “बिलासपुर डिवीजन-एडीईएन/आरआईजी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत केडीटीआर-बीईएफ के बीच किमी-599/18-20 पर एलसी नंबर 297 के बदले में अधूरे एलएचएस का निर्माण। ” के अधिग्रहण के लिए भूमि का संक्षिप्त विवरण.

1. ग्राम – कुशवाबहरी, प.ह.न. 01 तहसील– रायगढ़, जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1	218/3 218/6 218/8	निजी	कृषि	0.020	पनिकराम पिता मनीराम, भू- स्वामी
2	217/3	निजी	पड़त	0.036	विमला इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा.लि.रायपुर द्वारा डायरेक्टर विनय लूनिया पिता ज्ञानचंद, भू- स्वामी
कुल भूमि (कुशवाबहरी) = 0.056 हे.					

2. ग्राम – कोड़तराई, प.ह.न. 01 तहसील – रायगढ़, जिला – रायगढ़ (छ.ग.)

क्र.	खसरा न.	भूमि का स्वामित्व	भूमि का प्रकार	अर्जित रकबे का क्षेत्र (हे.) में	भूमि स्वामी का नाम
1	141	निजी	कृषि	0.018	श्यामकुंवर पति रामलाल, बाबूलाल पिता लेखन वगैरह कुल 19 सहखातेदार
2	142/2	निजी	कृषि	0.056	हरिहर प्रसाद, ताराचंद पिता सदानंद भू-स्वामी
3	143/3	निजी	कृषि	0.012	हरिहर प्रसाद, ताराचंद पिता सदानंद भू-स्वामी
4	143/4	निजी	कृषि	0.020	ध्रुव कुमार पिता गिरधारी, तिलकराम, पीताम्बर पि. गिरधारी, भू-स्वामी
कुल भूमि (कोड़तराई) = 0.106 हे.					

[फा. सं. डीवाई. सीई./जीएसयू/बी एस पी/आर ओ बी/आर यु बी/एल सी संख्या 297/भूमि अधिग्रहण/20E]]
संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)/ आरएसपी

MINISTRY OF RAILWAYS
(South East Central Railway)

NOTIFICATION

Bilaspur, the 8th January, 2026

NOTIFICATION UNDER SECTION 20E OF THE RAILWAY ACT 1989

S.O. 154(E).—Whereas by the notification of the Government of India, In the Ministry of Railways (Railway Board) S.O. number 4916(E), dated 24/10/2025, published in the Gazette of India (Extra-Ordinary) Part-II section 3 sub section (ii), (hereinafter referred to as the said notification) under subsection (1) of 20A of the railway act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution of Special Railway Project, namely **“(Bilaspur Division Construction of incomplete LHS in lieu of LC No. 297 at KM- 599/18-20 between KDTR-BEF under the jurisdiction of ADEN/RIG).”** in the state of Chhattisgarh.

And, whereas, the substance of the said notification Number 4916(E), dated 24/10/2025, was published in the daily newspapers, "Navin Kadam" (Raigarh) (Hindi), Ispat times (Raigarh) (Hindi), Nayidunia (Bilaspur) (Hindi) & "Central Chronicle" (Raipur) (English) on 20th November, 2025 under sub-section (4) of Section 20A of the said Act;

And whereas, no objection was received within the set time period.

And, whereas, in pursuance of sub-section (I) of Section 20E of the said Act, the Competent Authority has submitted his report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section I) of Section 20E of the said Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And, further, in pursuance of sub-section (2) of Section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances,

A. “(Bilaspur Division Construction of incomplete LHS in lieu of LC No. 297 at KM- 599/18-20 between KDTR-BEF under the jurisdiction of ADEN/RIG).” Brief description for the acquisition.

1. Village Name – Kushwabahari P.H.No.- 01 Tehsil – Raigarh, District – Raigarh (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1	218/3 218/6 218/8	Private	Agriculture	0.020	Panikram, Father Maniram , Land Owner
2	217/3	Private	Padat	0.036	Vimla Infrastructure india Pvt.Ltd. Raipur dwara Director Vinay Luniya Father Gyanchand, Land Owner
Total land (Kushwabahari) – 0.056 Hectare					

2. Village Name – Kodtarai, P.H.No.- 01 Tehsil – Raigarh, District – Raigarh (C.G.)

Sl. No.	Khasra No.	Ownership	Type of Land	Acquired Land Area (in Hect)	Name of Land Owner
1	141	Private	Agriculture	0.018	Shyamkunwar Husband Ramlal, Babulal Father Lekhan Vagairah kul 19 sahkhatedar
2	142/2	Private	Agriculture	0.056	Harihar Prasad, Tarachand Father Sadanand Land Owner

3	143/3	Private	Agriculture	0.012	Harihar Prasad, Tarachand Father Sadanand Land Owner
4	143/4	Private	Agriculture	0.020	Dhruv kumar Father Girdhari, Tilakram, Pitamber Father.Girdhari, Land Owner
Total land (Kodtarai) – 0.106/ Hectare					

[F. No. DY. CE/GSU/BSP/ROB/RUB/LC No.-297/land acquisition/20E
SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/(Con.)/RSP